

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प.11(6)मं.म./2003

जयपुर, दिनांक: 11 जनवरी, 2012

आज्ञा

इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 12.12.2011 के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मंत्रिगण, राज्य मंत्रिगण एवं संसदीय सचिवगण को जिन्हें जिले का प्रभारी नियुक्त किया है को निम्नांकित कार्य एवं उनकी समीक्षा किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया है:-

1. सूखा राहत गतिविधियों एवं व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के लिए रोजगार की स्थिति।
2. मनेरगा कार्यों की समीक्षा।
3. बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति एवं जिला कार्यक्रम कियान्वयन समितियों के कार्यों की समीक्षा।
4. मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास योजना, मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं जिले में चल रही अन्य कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा।
5. पोषाहार, मौसमी बीमारियों से निपटने हेतु किये गये प्रबन्धों की समीक्षा।
6. जिले की पेयजल, विद्यात आपूर्ति व्यवस्थाओं की समीक्षा।
7. राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारन्टी अधिनियम की कियान्विति

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ आरोपी और्जन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
4. समस्त सभागैयी आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
8. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
10. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क, राजस्थान।
11. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक, राजकॉम्प, योजना भवन, जयपुर को जीएडी एण्ड केबीनेट की बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
14. वरिष्ठ लेखाधिकार, सामान्य प्रशासन (गुप-4) विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान, राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।

शासन उप सचिव